मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(सामान्य शाखा)

अधिसूचना

संख्या- 817 / पटना, दिनांक 26 अक्टू., 2005.

भारत संविधान के अनुच्छेद 154 सहपठित अनुच्छेद 162 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार, बिहार राज्य अतिथि नियमावली, 1971 को अधिक्रमित करते हुए बिहार राज्य भ्रमण करने वाले राज्य अतिथियों से संबंधित सभी विषयों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है :-

बिहार राज्य अतिथि नियमावली, 2005

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरम्भ :- (1) यह नियमावली बिहार राज्य अतिथि नियमावली, 2005 कही जा सकेगी ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी ।

2. (1) निम्नलिखित महानुभाव बिहार राज्य में अपने शासकीय अथवा निजी भ्रमण के दौरान राज्य अतिथि घोषित किये जायेंगे :-

(I) भारत के राष्ट्रपति

(II) भारत के उप राष्ट्रपति

(III) भारत के प्रधानमंत्री

(III/) भारत के उप प्रधान मंत्री

(I/) भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति

(I/I) भारत के भूतपूर्व उप राष्ट्रपति

(I/II) भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री

(I/III) अन्य राज्यों के राज्यपाल, उप राज्यपाल/राज्य शासनाध्यक्ष

(IX) लोक सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष

(X) राज्य सभा के सभापति/उप सभापति

(XI) भारत सरकार के मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/उप मंत्रीगण

(XII) राज्यों के मुख्यमंत्री

(XIII) योजना आयोग के उपाध्यक्ष एवं सदस्य ।

(XII/) उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश तथा अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश ।

.....2

(xvii) कैबिनेट सचिव, भारत सरकार

(xviii) सैन्य बलों के चीफ ऑफ स्टाफ

(xix) रिजर्व बैंक के गवर्नर।

(xx) भारत रत्न से सम्मानित महानुभाव

(xxi) अन्य राज्यों के विधान सभाओं के अध्यक्ष

(xxii) अन्य राज्यों की विधान परिषदों के सभापति ;

(xxiii) लोक सभा में विपक्ष के नेता ।

(2) भारत के राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के सम्पूर्ण प्रवास के दौरान उनके परिवार एवं उनकी टीम के सदस्यों को भी राज्य अतिथि माना जायेगा । इनके प्रवास के दिनों की कोई सीमा नहीं होगी ।

(3) नियम 2(1) में उल्लिखित अन्य महानुभावों को अधिकतम सात दिनों के लिए राज्य अतिथि घोषित किया जा सकेगा तथा इन महानुभावों के साथ भ्रमण करने वाले अधिकतम दो निकटतम पारिवारिक सदस्यों को भी राज्य अतिथि घोषित किया जा सकेगा। "निकटतम पारिवारिक सदस्य" से अभिप्रेत है पति अथवा पत्नी एवं उनके आश्रित पुत्र/पुत्री ।

(4) भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को छोड़कर नियम 2(1) में उल्लिखित अन्य महानुभावों के टीम के सदस्यों को भुगतान के आधार पर आवासन, भोजन और वाहन की व्यवस्था की जा सकेगी ।

3. (1) निम्नलिखित महानुभावों का आगमन यदि शासकीय कार्य के उद्देश्य से बिहार राज्य में होता है तो उन्हें अधिकतम सात दिन की अवधि के लिए राज्य अतिथि घोषित किया जायेगा :-

(i) अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और उनके परिवार के निकटतम दो सदस्य (पति अथवा पत्नी, एवं आश्रित पुत्र/पुत्री)

(ii) मुख्य चुनाव आयुक्त/चुनाव आयुक्त ।

(iii) भारत के महालेखाकार

(iv) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष

(v) भारत सरकार के सचिव एवं भारत सरकार के सचिव के समकक्ष पंक्ति के महानुभाव ।

(vi) अन्य राज्यों के मुख्य सचिव

(vii) राज्य सभा के सचिव/लोक सभा के महासचिव

(viii) भारत के महान्यायवादी

(ix) भारत के विधि परामर्शी एवं अपर विधि परामर्शी

(x) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य

(xi) राष्ट्रीय पिछड़ा जाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य

(xii) राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य

(xiii) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य

(xiv) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य

(xv) ऐसे गैर सरकारी महानुभाव जिन्हें भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी का दर्जा प्राप्त है ।

(xvi) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य

(xvii) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

(xviii) अध्यक्ष, ऑल इण्डिया काउन्सिल फॉर टेकनिकल एजुकेशन

(xix) अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल काउन्सिल

(xx) अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण

(xxi) लोकसभा एवं राज्य सभा की संसदीय समितियों के अध्यक्ष

(xxii) रेलवे बोर्ड के ~~अध्यक्ष~~ ।

(xxiii) अध्यक्ष, भारत प्रेस परिषद

(xxiv) अन्य राज्यों के मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री

(2) नियम 3 के उप नियम (1) में उल्लिखित महानुभावों के अलावे अन्य विशिष्ट व्यक्तियों, महानुभावों एवं विदेशी महानुभावों को भी यदि उनका आगमन बिहार राज्य के शासकीय या प्रशासनिक कार्य से संबंधित हो, राज्य सरकार के द्वारा अधिकतम तीन दिनों तक राजकीय अतिथि घोषित किया जा सकेगा । ऐसी घोषणा मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के द्वारा मुख्य सचिव का आदेश प्राप्त कर की जा सकेगी ।

4. (1) राज्य अतिथियों एवं उनके परिवार के सदस्यों, यथाविहित के आवासन भोजन एवं परिवहन का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा ।

(2) राज्य अतिथि के आगमन के पहले या उनके प्रस्थान के बाद किसी अवधि में उनके परिवार के किसी सदस्य के लिए अपेक्षित आवासन और भोजन का प्रबंध भुगतान के आधार पर किया जा सकेगा ।

5. (1) भोजन, नाश्ते, चाय, आवासन, वाहन आदि के भुगतान की दर राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्गत की जा सकेगी ।

(2) राज्य अतिथियों द्वारा आमंत्रित अन्य व्यक्तियों के लिए भोजन, नाश्ता, चाय की व्यवस्था निर्गत दर पर भुगतान के आधार पर की जा सकेगी ।

राज्य अतिथि का स्वागत -(1) राज्य अतिथियों का स्वागत जिला प्रशासन के सक्षम पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा। विभागीय कार्य से पधारने वाले राज्य अतिथियों का स्वागत संबंधित प्रशासी विभाग के सक्षम अधिकारी के द्वारा किया जायेगा ।

परन्तु राज्य सरकार यह निर्णय ले सकेगी किसी विशिष्ट राज्य अधिकारी का स्वागत किसी अन्य रीति से किया जाये।

(2) अति विशिष्ट व्यक्तियों एवं विशिष्ट व्यक्तियों जैसे- राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि के स्वागत एवं विदाई के संबंध में समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया जायेगा ।

7. सुरक्षा:- बिहार राज्य अतिथियों की सुरक्षा का व्यवस्था गृह सचिव/पुलिस महानिदेशक, बिहार एवं उस जिले के पुलिस प्रशासन द्वारा किया जायेगा जहाँ उनका आगमन हो तथा जहाँ अपने प्रवास के दौरान वे जाना चाहते हों । इस संबंध में समय-समय पर राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा निर्गत निदेशों का अनुपालन किया जायेगा ।

8. आवासन :- (1) पटना में राज्य अतिथि को सामान्यतः राज्य अतिथि गृह या पटना परिसदन में ठहराया जायेगा ।

(2) राज्य अतिथि गृह में या पटना परिसदन में स्थान उपलब्ध नहीं होने पर राज्य अतिथियों को पटना के किसी होटल में ठहराया जा सकेगा ।

परन्तु यदि अपेक्षित हो तो मुख्य सचिव के आदेश से किसी राज्य अतिथि को अतिथि गृह में स्थान होने पर भी होटल में ठहराने का निर्णय लिया जा सकेगा ।

(3) राज्य मुख्यालय के बाहर के स्थानों राज्य अतिथि को परिसदन, निरीक्षण भवन, राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/स्थानीय प्राधिकार/लोक उपक्रम के अतिथि गृह या बंगले में ठहराया जायेगा। यदि किसी जगह पर ऐसा उपयुक्त स्थान न हो तो उन्हें होटल सहित किसी अन्य स्थान पर ठहराया जा सकेगा ।

(4) राज्य अतिथि के आवासन एवं चाय, नाश्ता और भोजन की व्यवस्था के खर्च का वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जायेगा ।

(5) निजी होटल में आवासन की व्यवस्था मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की पूर्वानुमति से की जायेगी ।

9. परिवहन:-(1) राज्य मुख्यालय में किसी राज्य अतिथि के भ्रमण के लिए वित्त विभाग, संबंधित प्रशासी विभाग या पटना जिला प्रशासन से वाहन उपलब्ध कराया जायेगा। यदि वित्त विभाग वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ हो या प्रशासी विभाग तथा पटना जिला प्रशासन के पास वाहन उपलब्ध न हो तो वाहन किराये पर लेकर उपलब्ध कराया जा सकेगा।

परन्तु मुख्य सचिव के आदेश से किसी राज्य अतिथि के लिए वातानुकूलित वाहन भी किराये पर लिया जा सकेगा।

(2) पटना से भिन्न जिला मुख्यालयों या अन्य स्थानों में भ्रमण की दशा में सम्बद्ध जिला पदाधिकारी राज्य अतिथियों के परिवहन के लिए सरकारी या किराये के वाहन की व्यवस्था कर सकेंगे।

(3) राज्य अतिथियों के परिवहन पर होने वाला खर्च राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जायेगा।

(4) किराये का वाहन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की पूर्वानुमति से उपलब्ध कराया जायेगा।

10. विशेष परिस्थिति में, यदि किसी राज्य अतिथि को शासकीय कार्य के निष्पादन के लिए राजकीय वायुयान उपलब्ध कराया जाना आवश्यक हो तो ऐसा मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्य मंत्री का आदेश प्राप्त कर किया जा सकेगा।

11. किसी असाधारण स्थिति में राज्य अतिथि के प्रवास की विहित अवधि को मुख्य सचिव का आदेश प्राप्त कर बढ़ाया जा सकेगा।

12. राज्य अतिथि के आवासन के स्थान पर अवस्थित टेलीफोन से स्थानीय टेलीफोन कॉल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। एस.टी.डी. और आई.एस.डी कॉल का भुगतान राज्य अतिथि के द्वारा किया जायेगा।

परन्तु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री को एस.टी.डी. कॉल की सुविधा राजकीय खर्च पर अनुमान्य होगी।

13. राज्य अतिथियों को सरकारी खर्च पर कोई मादक पेय नहीं दिया जायेगा।

14. राज्य अतिथि घोषित महानुभावों के लिए राज्य सरकार के खर्च पर स्वागत, परिवहन, आवासन, भोजन, सुरक्षा विदाई जैसे सभी या इन में से कुछ के लिए आवश्यक व्यवस्था जिला पदाधिकारी या अन्य किसी पदाधिकारी के द्वारा सुनिश्चित की जायेगी जिन्हें एतत् संबंधी आदेश संसूचित किया जायेगा।

.....6

15. राज्य सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के द्वारा जिन्हीं महानुभावों को राज्य अतिथि घोषित किया जायेगा उनके कार्यक्रम के अनुसार स्वागत, आवासन, भोजन, परिवहन, सुरक्षा, विदाई की व्यवस्था आदि हेतु संबंधित पदाधिकारी को सरकार का आदेश राज्य सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के द्वारा संसूचित किया जायेगा।

16. राज्य अतिथियों पर किया गया व्यय सरकार के आय-व्यय के निम्नलिखित वृहत और लघु शीर्ष के अंतर्गत विकलनीय होगा :-

(I) सचिवालय स्तर के व्यय का बजट शीर्ष:- "2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ-090- सचिवालय- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (सामान्य शाखा) (अ) आतिथ्य व्यय"

(II) जिला प्रशासन द्वारा व्यय :- "2053 जिला प्रशासन-094- अन्य व्यय - 800- जिला प्रशासन में मनोरंजन "

17. राज्य सरकार इस नियमावली के किसी भी नियम को शिथिल करने में सक्षम होगी और इसे उक्त नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन हेतु संबंधित अधिकारियों को अनुदेश जारी करने की शक्ति होगी ।

18. बिहार राज्य अतिथि नियमावली, 1971 तथा समय-समय पर उसके अधीन जारी आदेश/अनुदेश एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

26/8/05

(शशि शेखर शर्मा)

सरकार के सचिव,

बिहार, पटना ।

ज्ञापांक- वी/परि. 8-1004/99- 877 / पटना-15, दि0 26 अग्. 05.

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

2. अनुरोध है कि नियमावली की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।

26/8/05

(शशि शेखर शर्मा)

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक- बी/परि. 8-1004/99- 877 / पटना-15, दि0 26 अक्टू. 05.
राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/
प्रतिलिपि- सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शशि शेखर शर्मा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- 877 / पटना-15, दि0 26 अक्टू. 05.

प्रतिलिपि- कैबिनेट सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली/सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव/निबंधक, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली/निबंधक, सभी उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली/मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत सरकार, नई दिल्ली/सचिव, लोकसभा/सचिव, राज्य सभा/सचिव, मानवाधिकार आयोग/राष्ट्रीय पिछड़ी जाति आयोग/राष्ट्रीय महिला आयोग/राष्ट्रीय महिला आयोग/राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जन जाति आयोग/राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग/राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग/योजना आयोग, भारत सरकार/अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/ऑल इण्डिया काउंसिल फॉर टेकनिकल एडुकेशन/इंडियन मेडिकल काउंसिल/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण/रेलवे बोर्ड/भारत प्रेस परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।